नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1985

सा० का० नि० 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट कार्यालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1983 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट कार्यालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट कार्यालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1983 की अनुसूची में,—

(1) सहायक नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 6क के नीचे "नहीं" शब्द के स्थान पर "हां" शब्द रखा जाएगा; और

(2) पेटेंट और डिजाइन परीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ 6क के नीचे "नहीं" शब्द के स्थान पर "हां" शब्द रखा जाएगा।

[फा० सं० ए-12018/5/81-ई-4]

चरण दास, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा० का० नि० 856 तारीख 19-11-1983 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 8th February, 1985

G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Patent Office (Group 'A' and Group 'B' post) Recruitment Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Patent Office (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Patent Office (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1983,—

(i) against serial number 3 in respect of the post of Assistant Controller of Patents and Designs under column 6a, for the word "No", the word "Yes" shall be substituted; and

(ii) against serial number 7 in respect of the post of Examiner of Patents and Designs, under column 6a, for the word "No", the word "Yes" shall be substituted.

[No. A-12018/5/31-E.IV]

CHARAN DASS, Under Secy.

Note: Principal rules were notified vide G.S.R. 856, dated 19-11-1983.

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1985

सा०का० नि० 213—भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443 (ड) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा०नि०आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है), में आंशिक उपान्तर करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतदद्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स फाउण्डेशन आगा खान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31-12-84 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 593 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) (1) अधिनियम की धारा 592 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेश का तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, तथा

(2) भारत के शासप्राप्त लेखापाल द्वारा प्रमाणित इसकी भारतीय शाखा की प्राप्तियों तथा अदायगियों का विवरण-पत्र।

(2) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण-पत्र।

(3) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा सम्यतः हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 31-12-84 वर्ष की समाप्ति के मध्य भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से।

[सं० 14/13/84-सी० एल०-6]

सूरज कपूर, संयुक्त निदेशक